"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 387] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2017—— भाद्रपद 10, शक 1939

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-45/2013/नौ/55-तीन. — औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का सं. 23) के उपबंधो के अधीन निर्मित औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 2 के खण्ड (ङ ङ) के उप-खण्ड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 21-03/2004/नौ/55, दिनांक 23 मार्च, 2004 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का सं. 48) की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति में उपाधि धारक और जो छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा-व्यवसायी अधिनियम, 1970 (क्र.-5 सन् 1971) के अधीन पंजीकृत हो, को आधुनिक चिकित्सा पद्धति, जिसे एलोपैथिक मेडिसीन के रूप में भी जाना जाता है, से उपचार के लिये, उस सीमा तक जितना कि उनके द्वारा मॉर्डन मेडिसीन में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में घोषित करती है.

No. F 2-45/2013/IX/55/Three. — In exercise of the powers conferred by sub-clause (III) of Clause (ee) of Rule 2 of the Drugs & Cosmetic Rules, 1945 made under the provision of the Drugs & Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940) and in Supersession of this Department's Notification No. F 21-03/2004/IX/55, dated 23rd March, 2004 the State Government, hereby, declares the degree holders of Ayurveda and Unani System of Medicine included in the Second Schedule of Indian Medicine Central Council Act, 1970 (No. 48 of 1970) and are registered under the Chhattisgarh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritic Chikitsa-Vyavasayi Adhiniyam, 1970 (No. 5 of 1971) as registered medical practitioner to practice the Modern system of Medicine which is known as Allopathic Medicine, to the extent of training received by them in Modern Medicine.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.